शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-९२/2016/2822/52-1-2016-09(एम0एस0डी0पी0)/16

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक 20 अक्टूबर, 2016**

विषय- 12वीं पंचवर्षीय योजना में अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 22.03.2016 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की 113वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद बरेली के वि0खण्ड-बहेडी, भोजीपुर, चैनपुर, फतेहगंज, नवाबगंज तथा शेरगढ में स्वीकृत विभिन्न स्कूलों में शौचालय के निर्माण के लिये केन्द्रांश की प्रथम किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(15)/2013-पीपी(पीटी), दिनांक 29.04.2016 से जनपद बरेली के उक्त विकास खण्डों में स्वीकृत विभिन्न स्कूलों में शौचालय के निर्माण के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 39.75 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 23.85 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 11.93 लाख (रूपये ग्यारह लाख तिरानबे हजार मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू0 7.94 लाख (रूपये सात लाख चौरानबे हजार मात्र) अर्थात् कुल रू0 19.87 लाख (रूपये उन्नीस लाख सत्तासी हजार मात्र) वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना हेतु प्राविधानित बजट रू0 40.00 लाख में से अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

			(केन्द्रांश-60, राज्यांश-40)					**(रू0 लाख में)**		
क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्त प्रथम किश्त		अवमुक्त कुल धनराशि (के0+रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बरेली	वि0ख0-**बहेडी** के विभिन्न स्कूलों में शौचालय का निर्माण	25	0.75	11.25	7.50	18.75	5.63	3.745	9.375

http://shasnadesh.up.nic.in

	तदैव	वि0ख0-**भोजीपुर** के विभिन्न स्कूलों में शौचालय का निर्माण	04	0.75	1.80	1.20	3.00	0.90	0.60	1.50
	तदैव	वि0ख0-**चैनपुर** के विभिन्न स्कूलों में शौचालय का निर्माण	08	0.75	3.60	2.40	6.00	1.80	1.20	3.00
	तदैव	वि0ख0-**फतेहगंज** के विभिन्न स्कूलों में शौचालय का निर्माण	11	0.75	4.95	3.30	8.25	2.48	1.645	4.125
	तदैव	वि0ख0-**नवाबगंज** के विभिन्न स्कूलों में शौचालय का निर्माण	03	0.75	1.35	0.90	2.25	0.67	0.45	1.12
	तदैव	वि0ख0-**शेरगढ** के विभिन्न स्कूलों में शौचालय का निर्माण	02	0.75	0.90	0.60	1.50	0.45	0.30	0.75
		योग			**23.85**	**15.90**	**39.75**	**11.93**	**7.94**	**19.87**

1. अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य-मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-02 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को हस्तान्तरित की जायेगी। धनराशि अवमुक्त किये जाने की तिथि से कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य को 03 माह में पूरा कर लिया जायेगा। कार्य को कुल अनुमोदित/स्वीकृत लागत से पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ एवं निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

4. अवमुक्त धनराशि का उपभोग 03 माह में कर लिया जाय। धनराशि का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। इससे विचलन की दशा में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा शौचालय का निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्था/योजना से सम्बन्धित मूल विभाग के अधिकारी उत्तरदायी होंगे। व्यय से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत धनराशि इसके पूर्व स्वीकृत नहीं की गयी है।

5. योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

8. अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. अवमुक्त धनराशि के व्यय का जिलाधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-2 प्रतियों में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमात्र-पत्र एवं उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

10. इस योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का 01 पृथक लेखा अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा मेन्टेन किया जायेगा।

11. विभिन्न स्कूलों में शौचालय से सम्बन्धित स्थलों पर कार्यदायी संस्था द्वारा एक बोर्ड भी स्थापित किया जायेगा जिस पर योजना की लागत, बजट का स्रोत, योजना के स्वीकृत होने की तिथि, भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि तथा कार्यदायी संस्था का नाम अंकित किया जायेगा।

12- उक्त निर्माण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-जी0आई0 193/52-1-14-1(120) /09, दिनांक 16 मई, 2014 के अनुसार निर्मित/निर्माणाधीन परियोजनाओं का थर्ड पार्टी से निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

13. उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक " 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0110- अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत रिचार्ज यूनिट सहित सोकपिट का निर्माण(के075/रा0 25)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।**

14- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित प्रावधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या 2822(1)/बावन-1-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
4. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से भी कार्यवाही करने का कष्ट करें। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य के लिए आपके विभाग से भी धनराशि न आहरित की गयी हो।
6. निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ/कोषाधिकारी सम्भल।
9. जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, सामुदायिक शौचालय के फोटोग्राफ्स एवं ग्रामों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित करने का कष्ट करें।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।
11. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव

http://sirsamadesh.up.nic.in